

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1990]

No. 1990]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 2014/अश्विन 3, 1936
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2014/ASVINA 3, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2014

का.आ. 2519(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 910(अ), तारीख 21 अप्रैल, 2010 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-69 के नागपुर-ओबेदुल्लागंज सेक्शन (नागपुर मध्यप्रदेश/महाराष्ट्र सीमा) के 0.480 कि.मी. से 59.350 कि.मी. और मध्यप्रदेश राज्य में के 0.600 कि.मी. से 256.400 कि.मी. (ओबेदुल्ला गंज-बेतूल-मुलतई-मध्यप्रदेश/महाराष्ट्र सीमा) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा था;

और यतः, केन्द्रीय सरकार के, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क संग्रहण हेतु सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और इनमें सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12.10.2011, सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013 तथा सा.का.नि. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014 को संशोधन किए हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डीबीएफओटी(वार्षिकी) आधार पर महाराष्ट्र राज्य में रासा-69 के 3.000 कि.मी. से 59.300 कि.मी. तक नागपुर-साओनेर-बेतूल सेक्शन और मध्य प्रदेश राज्य में 137.000 कि.मी. से 257.400 कि.मी. तक (लगभग लम्बाई 174.200 कि.मी.) को चार लेन का बनाने की परियोजना के अधीन सड़क खण्ड की निवल लम्बाई-130.432 कि.मी. हेतु (12.88.62 मीटर की उन संरचनाओं को छोड़कर जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) सारिणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) पर और 42.024 कि.मी. की कुल लम्बाई वाले बाइपासों (455.440 मीटर की उन संरचनाओं को छोड़कर जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) जिनमें से प्रत्येक की लागत दस करोड़ रुपए या उससे अधिक है, हेतु नोचे सारिणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत करती है, और प्राधिकरण के अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

*प्राधिकरण ने यह पुष्टि की है कि पुराना चैनेज 137.000 कि.मी. से 256.400 कि.मी. था और यह कि बीच की लम्बाई में कुछ वृद्धि हो जाने के कारण नया समाप्ति चैनेज 257.400 कि.मी. हो गया है। तथापि, सौंवे गए खण्ड का वास्तविक प्रारम्भ तथा समापन वही का वही है।

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो घुरी वाले)	2.20
तीन घुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (इरमड)	3.45
अथवा बहु घुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छह घुरी वाले)	
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक घुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए सड़क खण्ड की विनिर्दिष्ट लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा:-

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
23.00 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 23.000 कि.मी.) (महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पटनसावगी गांव के पास)	49.160 (नीचे पैरा-3 में अंकित संरचनाओं की 900 मीटर लम्बाई को छोड़कर और साओनेर बाइपास की लम्बाई को छोड़कर)
71.050 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 210.000 कि.मी.) (मध्यप्रदेश के बेतूल जिले में खम्बारा गांव के पास)	44.987 (नीचे पैरा-3 में अंकित संरचनाओं की 293.62 मीटर लम्बाई को छोड़कर और बड़चिचोली बाइपास, पदूरणा बाइपास तथा तिगांव बाइपास को छोड़कर)
14.700 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 151.700) (मध्यप्रदेश के बेतूल जिले में मिलानपुर गांव के पास)	36.250 (नीचे पैरा-3 में अंकित संरचनाओं की 95.00 मीटर लम्बाई को छोड़कर और मुलतई बाइपास तथा बेतूल बाइपास की लम्बाई को छोड़कर)

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपए या अधिक की लागत वाले निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग हेतु, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) की लम्बाई के लिए, आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम और चैनेज	बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है
23.00 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 23.000 कि.मी.) (महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पटनसावगी गांव के पास)	साओनेर बाइपास 32.600 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 32.700 कि.मी.) से प्रारम्भ होकर रासा-69 के 40.600 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 40.000 कि.मी.) पर मिलते हुए	7.839 (नीचे पैरा-3 में अंकित संरचनाओं की 161.34 मीटर लम्बाई को छोड़कर)
71.050 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 210.000 कि.मी.) (मध्यप्रदेश के बेतूल जिले में खम्बारा गांव के पास)	बड़चिचोली बाइपास 110.800 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 250.500 कि.मी.) से प्रारम्भ होकर रासा-69 के 113.180 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 253.180 कि.मी.) पर मिलते हुए	2.380
71.050 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 210.000 कि.मी.) (मध्यप्रदेश के बेतूल जिले में खम्बारा गांव के पास)	पदूरणा बाइपास 86.900 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 226.050 कि.मी.) से प्रारम्भ होकर रासा-69 के 94.200 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 233.900 कि.मी.) पर मिलते हुए	7.216 (नीचे पैरा-3 में अंकित संरचनाओं की 84.00 मीटर लम्बाई को छोड़कर)
71.050 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 210.000 कि.मी.) (मध्यप्रदेश के बेतूल जिले में खम्बारा गांव के पास)	तिगांव बाइपास 79.50 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 218.100 कि.मी.) से प्रारम्भ होकर रासा-69 के 82.250 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 221.150 कि.मी.) पर मिलते हुए	3.039 (नीचे पैरा-3 में अंकित संरचनाओं की 60.10 मीटर लम्बाई को छोड़कर)
14.700 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 151.700) (मध्यप्रदेश के बेतूल जिले में मिलानपुर गांव के पास)	मुलतई बाइपास 47.200 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 188.400 कि.मी.) से प्रारम्भ होकर रासा-69 के 55.900 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 194.600 कि.मी.) पर मिलते हुए	8.700

14.700 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 151.700) (मध्यप्रदेश के बेतूल जिले में मिलानपुर गांव के पास)	बेतूल बाइपास 0.250 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 137.000 कि.मी.) से प्रारम्भ होकर रासा-69 के 13.250 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 150.800 कि.मी.) पर मिलते हुए	12.850 (नीचे पैरा-3 में अंकित संरचनाओं की 150.00 मीटर लम्बाई को छोड़कर)
---	--	---

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित ऐसी संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग वी समान लम्बाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समान लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समान लम्बाई (कि.मी. में)
23.00 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 23.000 कि.मी.) (महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पटनसावगी गांव के पास)	1.061	10.61
71.050 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 210.000 कि.मी.) (मध्यप्रदेश के बेतूल जिले में खम्बारा गांव के पास)	0.438	4.380
14.700 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 151.700) (मध्यप्रदेश के बेतूल जिले में मिलानपुर गांव के पास)	0.245	2.450

* ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:-

रासा-69 के 23.00 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) पर टोल प्लाजा

	चैनेज		लम्बाई (मीटर)
	कि.मी. से	कि.मी. तक	
1	4.235	4.315	80.00
2	4.845	5.478	633.00
3	7.444	7.528	84.00
4	13.648	13.751	103.00
5	38.229	38.390	161.34
			1061.34

रासा-79 71.050 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) पर टोल प्लाजा

	चैनेज		लम्बाई (मीटर)
	कि.मी. से	कि.मी. तक	
1	65.371	65.450	79.795
2	81.404	81.464	60.100
3	87.791	87.875	84.000
4	91.836	91.967	131.64
5	94.242	94.324	82.185
			437.72

रासा-69 के 14.700 कि.मी. (डिजाइन प्लाजा) पर टोल प्लाजा

	चैनेज		लम्बाई (मीटर)
	कि.मी. से	कि.मी. तक	
1	3.760	3.910	150.000
2	18.029	18.124	95.000
			245.000

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी पर ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2014-15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रूपए (दो सौ पच्चीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें हर वर्ष संशोधन किया जाएगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किये जाएंगे अर्थात्:

संवेद्य राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संवेद्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

- जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पूंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
- ऐसे अधिक भार से लदे हुए यांत्रिक वाहन का चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिक भार से लदे हुए वाहन को प्रवेश करवाने के लिए ऐसे श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क टोल संग्रहण एजेंसी को अदा करने का उत्तरदायी होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का तब तक उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
- यांत्रिक वाहनों के श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
- उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- ऊपर सारणी-1 में यथा उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर, संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
- इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 2777.12 करोड़ रुपए है। पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए गए शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भारास्रा/13013/760/सीओ/13-14/जीसी/नागपुर-साओनेर-बेतूल-बीओटी (वार्षिकी)]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2014

S.O. 2519 (E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 910(E) dated 21st April, 2010, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretch from km. 0.480 to km. 59.350 of Nagpur-Obaidullaganj Section (Nagpur-Madhya Pradesh/Maharashtra Border) in the State of Maharashtra and from km. 0.600 to km. 256.400 in the State of Madhya Pradesh (Obaidullaganj-Betul-Multai-Madhya Pradesh/Maharashtra Border) of NH-69 to the National Highways Authority of India (herein after referred to as the "Authority");

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated the 5th Dec, 2008, and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12.10.2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013 and G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 130.432 km (excluding 1288.62 m of structures having length more than 60 m) (hereinafter referred to as "base rate") and at one and half times the base rate for bypasses having an aggregate length of 42.024 km. (excluding 455.440 m of structures having length more than 60 m) costing each Bypass Rupees Ten Crore or more on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, under the project of Four laning of Nagpur-Saoner-Betul section of NH-69 from km. 3.000 to km. 59.300 in the state of Maharashtra and km. 137.000 to km. 257.400* in the state of Madhya Pradesh (approx. length 174.200 km) on DBFOT (Annuity) basis and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

* Authority has confirmed that the old chainage was km. 137.000 to km. 256.400 and that due to some increase in intermediate length, the new End Chainage is km. 257.400. However, the physical beginning and end of the entrusted stretch remains same.

TABLE 1

Type of vehicle (1)	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees) (2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle Commercial Vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza(s) for net road length specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km.) for which Fee is payable
Km. 23.00 (design chainage) (existing chainage km 23.000) (near Village Patansawangi in Nagpur District of Maharashtra)	49.160 (Excluding 900 m length of structures indicated in Para-3 below and excluding length of Saoner Bypass)
Km. 71.050 (design chainage) (existing chainage km. 210.000) (near Village Khambara in Betul District of Madhya Pradesh)	44.987 (Excluding 293.62 m length of structures indicated in Para-3 below and excluding length of Badchicholi Bypass, Pandhurna Bypass and Tigaon Bypass)
Km. 14.700 (design chainage) (existing chainage 151.700) (near Village Milanpur in Betul District of Madhya Pradesh)	36.285 (Excluding 95.00 m length of structures indicated in Para-3 below and excluding length of Multai Bypass and Betul Bypass)

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing more than Rs. 10 crores at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table-1 above for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza (chainage)	Names of Bypass with Chainage	Length of Bypass (in km.) for which additional fee is payable
Km. 23.00 (design chainage) (existing chainage km. 23.000) (near Village Patansawangi in Nagpur District of Maharashtra)	Saoner Bypass taking off at km. 32.600 (design chainage) (existing chainage km. 32.700) and joining at km. 40.600 (design chainage) (existing chainage km. 40.000) of NH-69	7.839 (Excluding 161.34 m length of structures indicated in Para-3 below)
Km. 71.050 (design chainage) (existing chainage km. 210.000) (near Village Khambara in Betul District of Madhya Pradesh)	Badchicholi Bypass taking off at km. 110.800 (design chainage) (existing chainage km. 250.500) and joining at km. 113.180 (design chainage) (existing chainage km. 253.180) of NH-69	2.380
Km. 71.050 (design chainage) (existing chainage km. 210.000) (near Village Khambara in Betul District of Madhya Pradesh)	Pandhurna Bypass taking off at km. 86.900 (design chainage) (existing chainage km. 226.050) and joining at km. 94.200 (design chainage) (existing chainage km. 233.900) of NH-69	7.216 (Excluding 84.00 m length of structures indicated in Para-3 below)
Km. 71.050 (design chainage) (existing chainage km. 210.000) (near Village Khambara in Betul District of Madhya Pradesh)	Tigaon Bypass taking off at km. 79.150 (design chainage) (existing chainage km. 218.100) and joining at km. 82.250 (design chainage) (existing chainage km. 221.150) of NH-69	3.039 (Excluding 60.10 m of structures indicated in Para-3 below)

3881 GE/14-2

Km. 14.700 (design chainage) (existing chainage 151.700) (near Village Milanpur in Betul District of Madhya Pradesh)	Multai Bypass taking off at km. 47.200 (design chainage) (existing chainage km. 188.400) and joining at km. 55.900 (design chainage) (existing chainage km. 194.600) of NH-69	8.700
Km. 14.700 (design chainage) (existing chainage 151.700) (near Village Milanpur in Betul District of Madhya Pradesh)	Betul Bypass taking off at km. 0.250 (design chainage) (existing chainage km. 137.000) and joining at km. 13.250 (design chainage) (existing chainage km. 150.800) of NH-69	12.850 (Excluding 150.00 m length of structures indicated in Para-3 below)

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km.)
Km. 23.00 (design chainage) (existing chainage km. 23.000) (near Village Patansawangi in Nagpur District of Maharashtra)	1.061	10.610
Km. 71.050 (design chainage) (existing chainage km. 210.000) (near Village Khambara in Betul District of Madhya Pradesh)	0.438	4.380
Km. 14.700 (design chainage) (existing chainage 151.700) (near Village Milanpur in Betul District of Madhya Pradesh)	0.245	2.450

* The details are as under:—

Toll Plaza at km. 23.00 (design chainage) of NH-69

	Chainage		Length (m)
	From Km.	To Km	
1	4.235	4.315	80.00
2	4.845	5.478	633.00
3	7.444	7.528	84.00
4	13.648	13.751	103.00
5	38.229	38.390	161.34
			1061.34

Toll Plaza at km. 71.050 (design chainage) of NH-69

	Chainage		Length (m)
	From Km	To Km	
1	65.371	65.450	79.795
2	81.404	81.464	60.100
3	87.791	87.875	84.000
4	91.836	91.967	131.64
5	94.242	94.324	82.185
			437.72

Toll Plaza at km. 14.700 (design chainage) of NH-69

	Chainage		Length (m)
	From Km.	To Km.	
1	3.760	3.910	150.000
2	18.029	18.124	95.000
			245.000

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred Twenty Five only) for the year 2014-15 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely :—

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.
9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.
10. Based on the Base Rate of Fee per km. for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the sections and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.
11. The estimated capital cost of the project is Rupees 2777.12 crores. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules

[F. No. NHAI/13013/760/CO/13-14/GC/Nagpur-Saoner-Betul - BOT (Annuity)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.